

कियोस्क हेतु आवेदन, आवंटन एवं अनुबंध संबंधी आवश्यक जानकारी

- एमपीऑनलाइन कियोस्क स्थापित करने हेतु सर्वप्रथम आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के एक सप्ताह के भीतर पंजीयन शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन स्वतः निरस्त हो जावेगा। पंजीयन शुल्क भुगतान के 1 सप्ताह के भीतर कियोस्क अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, इसके उपरांत ही कियोस्क संचालक द्वारा ट्रांजेक्शन किये जा सकते हैं।

फार्म भरने से पूर्व आवेदक निम्न जानकारियां अवश्य पढ़ लें-

- आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि वे निर्धारित दिशा-निर्देश तथा मापदंड अनुसार ट्रांजेक्शन करने तथा कियोस्क संचालन करने में सक्षम हैं, तो ही कियोस्क हेतु पंजीयन करें।
- कियोस्क आवंटन के संबंध में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति से संपर्क न करें। कियोस्क संबंधी जानकारी हेतु एमपीऑनलाइन से दूरभाष पर संपर्क करें।
- नियमानुसार प्रत्येक कियोस्क को प्रतिमाह 200 ट्रांजेक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- आवेदक ऑनलाइन फार्म में अपना नाम, पिता का नाम एवं जन्मतिथि अपने पेन कार्ड में दर्ज जानकारी अनुसार ही भरें। आवेदन में अपना मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी भी सही-सही भरें।
- आवेदन में कियोस्क के नाम में MPONLINE शब्द का उपयोग नहीं करें। जैसे (RAJ MPONLINE, इसके स्थान पर कियोस्क का नाम RAJ ONLINE रखा जा सकता है) यदि कोई कियोस्क के नाम में MPONLINE/MP ONLINE या इसका अन्य तरह से उपयोग करेंगे तो उनकी आईडी बंद कर दी जावेगी।
- आवेदक द्वारा आवेदन में गलत जानकारी भरने तथा दस्तावेज स्पष्ट स्कैन कर अटैच नहीं करने पर आवेदन निरस्त माना जावेगा और इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। एक व्यक्ति को पेन नंबर के आधार पर एक ही कियोस्क आवंटित किया जावेगा।
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये तथा हाईस्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है साथ ही कम्प्यूटर का प्राथमिक ज्ञान व हिन्दी एवं अंग्रेजी टाइपिंग आना चाहिये।
- एमपीऑनलाइन के सामान्य कियोस्क, स्कूल एवं कालेज परिसर में स्थापित नहीं किये जावेंगे। अतः स्कूल एवं कालेज में कियोस्क स्थापित करने हेतु कोई भी आवेदन न करें। यदि इन स्थानों पर कियोस्क स्थापित किया जाता है तो कियोस्क आवंटन निरस्त करने का अधिकार एमपीऑनलाइन को होगा।
- कियोस्क स्थापना के लिए आवेदक के पास घर/दुकान/आफिस/इंटरनेट कैफे में कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, बायोमेट्रिक डिवाइस एवं इंटरनेट कनेक्शन के साथ कम्प्यूटर सेटअप होना अनिवार्य है।

- यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा कियोस्क आवंटन एवं कियोस्क वेरिफिकेशन के संबंध में आपसे किसी प्रकार की अनाधिकृत मांग की जाती है, तो उसकी सूचना प्रमाण सहित एमपीऑनलाइन कार्यालय को प्रदान करें। कियोस्क वेरिफिकेशन उसके नियत पते पर ही जाकर किया जाता है।
- **कियोस्क संचालक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथवा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में से किसी भी एक बैंक में चालू खाता (Current Account) होना अनिवार्य है, ताकि नेटबैंकिंग के माध्यम से कियोस्क संचालन हेतु ऑनलाइन टॉपअप किया जा सके।**
- कियोस्क हेतु ऑनलाइन भरे गये **आवेदन की स्थिति देखने तथा पंजीयन शुल्क का भुगतान करने हेतु** (Check Application Status) लिंक पर कियोस्क आवेदन क्रमांक भरकर देखी जा सकती है। आवेदन की स्थिति देखकर पंजीयन शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- आवेदक को आवेदन भरने के एक सप्ताह के भीतर पंजीयन शुल्क का भुगतान कर अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन/कियोस्क आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। आवेदक को पंजीयन शुल्क भुगतान के 7 दिवस के अंदर कियोस्क अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण कराना अनिवार्य है, अन्यथा आवंटित कियोस्क स्वतः रद्द हो जायेगा।
- कियोस्क स्थापना हेतु आवेदक को ग्रामीण क्षेत्रों में 1000/- रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) तथा शहरी क्षेत्रों में 3000/- रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) पंजीयन शुल्क का भुगतान नेटबैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। पंजीयन शुल्क के भुगतान उपरांत किसी भी दशा में उक्त राशि वापस नहीं की जावेगी।
- पंजीयन शुल्क भुगतान के उपरांत आवेदक को पंजीकृत मोबाइल / ईमेल आईडी पर यूजर आईडी एवं पासवर्ड लिंक प्राप्त होगी। इसके माध्यम से कियोस्क लॉगिन करने के उपरांत कियोस्क संचालक को ईमेल एवं मोबाइल नंबर सत्यापित करना होगा, आप चाहे तो इसमें संशोधन भी कर सकते हैं एवं अपने बैंक खाता की जानकारी तथा संचालक / आपरेटर का फोटो अपलोड करें।
- कियोस्क अनुबंध (1) कियोस्क संचालक (जिनके नाम कियोस्क पंजीकृत है) तथा (2) मुख्य परिचालन अधिकारी, एमपीऑनलाइन लिमिटेड, भोपाल के मध्य 500/- रु. मूल्य के ई-स्टाम्प पर ही मान्य होगा।
- **कियोस्क अनुबंध हेतु ई-स्टाम्प तथा CLASS-2 श्रेणी का डिजिटल सिग्नेचर पंजीकृत कियोस्क संचालक के नाम का ही होना चाहिये। ई-स्टाम्प को स्पष्ट स्कैन कर अटैच करें तथा डिजिटल सिग्नेचर प्रक्रिया पूर्ण करें। अस्पष्ट ई-स्टाम्प तथा किसी अन्य व्यक्ति के नाम का स्टाम्प एवं डिजिटल सिग्नेचर होने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।**
- अनुबंध प्रक्रिया इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 या 11 में <http://www.mponline.gov.in> पर ही करें। अनुबंध प्रक्रिया उस सिस्टम में न करें, जिसमें बायोमेट्रिक्स डिवाइस का लायसेंस तथा एंटीवायरस अपलोड हो, अन्यथा आपका लायसेंस इनएक्टिव हो जावेगा। अपने कम्प्यूटर में java के सभी वर्सन अनइंस्टाल करके केवल java 7.2 ही अपलोड करें। डिजिटल सिग्नेचर में जावा एरर की समस्या आने पर संलग्न कियोस्क लॉगिन पर उपलब्ध पीपीटी देखें।

- कियोस्क अनुबंध प्रक्रिया संबंधी वीडियो Youtube पर देखने हेतु <https://www.youtube.com/watch?v=T4cOPAuRqnA> का उपयोग करें।
- बायोमेट्रिक्स डिवाइस रजिस्ट्रेशन संबंधी वीडियो देखने हेतु https://www.youtube.com/watch?v=VzU_o4TthGY&feature=youtu.be का उपयोग करें।
- अनुबंध प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत कियोस्क लॉगिन कर गतिविधियां (Activity) पर जाकर कियोस्क टॉपअप ऑप्शन के माध्यम से टॉपअप किया जा सकेगा। टॉपअप करने के उपरांत एमपीऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध समस्त सेवाएं कियोस्क लॉगिन के माध्यम से प्रदान की जा सकेंगी। कियोस्क संचालक को प्रतिमाह निर्धारित ट्रांजेक्शन करना अनिवार्य है।
- यदि किसी कियोस्क संचालक द्वारा कियोस्क अनुबंध के उपरांत लगातार 3 माह की अवधि तक एक भी ट्रांजेक्शन नहीं किया जाता है तो कियोस्क आईडी स्थायी रूप से बंद करने का अधिकार एमपीऑनलाइन को होगा।
- कियोस्क संचालक को एमपीऑनलाइन के मापदंड अनुसार एक बोर्ड/फ्लेक्स बोर्ड, अधिकृत कियोस्क सर्टिफिकेट (कियोस्क लॉगिन पर उपलब्ध), स्थापना का पंजीयन प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है, इनके अभाव में कियोस्क के विरुद्ध आर्थिक दंड लगाया जावेगा अथवा आईडी भी बंद करने संबंधी कार्रवाई की जावेगी। बोर्ड की डिजाइन लॉगिन पर उपलब्ध है, उसी अनुसार बोर्ड लगावें।
- साथ ही कियोस्क लॉगिन पर अधिकृत कियोस्क का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर अपने कियोस्क पर लगाना अनिवार्य है।

ध्यान रखें कियोस्क आवंटन के पश्चात कियोस्क के पंजीकृत पता तथा आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन आवंटित कियोस्क के निर्धारित स्थान पर ही किया जावेगा। किसी अन्य शहर में जाकर कियोस्क वेरिफिकेशन न करावें। सत्यापन के समय निम्न दस्तावेज प्रेषित करना अनिवार्य है:-

1. शहरी क्षेत्र हेतु दुकान/संस्था का स्थापना का पंजीयन प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र हेतु बिजली / टेलीफोन बिल अथवा दुकान का किरायानामा।
2. आवेदक का स्वयं का पेन कार्ड।
3. घर एवं दुकान (कियोस्क) का एड्रेस प्रूफ।
4. आवेदक की मार्कशीट (कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण)
5. कियोस्क पर एमपीऑनलाइन मापदंड अनुरूप साफ-सुथरा फ्लेक्स / बोर्ड लगा होना अनिवार्य है।
6. कियोस्क पर अधिकृत कियोस्क प्रमाण पत्र उचित स्थान पर लगा होना अनिवार्य है।

ध्यान रखें आवेदक के पास उपरोक्त में से किसी भी दस्तावेज के न होने अथवा गलत पाये जाने पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है, जिसके लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।

- कियोस्क संचालक को पोर्टल पर उपलब्ध समस्त सेवाएं नागरिकों को प्रदान करना अनिवार्य है साथ ही सेवा प्रदान करने पर नागरिकों से निर्धारित शुल्क ही लेना अनिवार्य है।

- कियोस्क संचालक द्वारा सेवा प्रदान करने में लापरवाही बरतने, निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने, नागरिकों से दुर्व्यवहार करने पर कियोस्क सेवा बंद कर दी जावेगी तथा कियोस्क संचालक के विरुद्ध गंभीर शिकायत प्राप्त होने पर कियोस्क आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।
- कियोस्क का संचालन निर्धारित स्थान से न करने, एक ही आईडी का दो स्थानों से संचालन करने तथा दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर कियोस्क की सेवाएं कम से कम 1 माह के लिये अस्थायी रूप से बंद कर दी जावेगी तथा आईडी ओपन कराने हेतु शपथ पत्र देना होगा तथा आईडी ओपन करने पर शुल्क की राशि 500/- रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) टॉपअप से समायोजित की जावेगी।
- संतोषजनक कार्य करने वाले कियोस्क का ही प्रतिवर्ष नवीनीकरण होगा, नवीनीकरण शुल्क टापअप से समायोजित किया जावेगा। यदि कियोस्क संचालक द्वारा लगातार 3 माह तक निर्धारित ट्रांजेक्शन नहीं किये जाते हैं तो ऐसे कियोस्क का अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।
- कियोस्क संचालक का नाम, पता तथा पेन नंबर में परिवर्तन/सुधार करने पर 500/- रुपये (जीएसटी अतिरिक्त) शुल्क लिया जावेगा। यह राशि कियोस्क टापअप से समायोजित की जावेगी। कियोस्क संचालक का नाम परिवर्तन स्वयं के परिवार के सदस्य में ही किया जावेगा।
- यदि किसी आवेदक के विरुद्ध गलत जानकारी के आधार पर कियोस्क लेने की जानकारी प्राप्त होती है, तो उस आईडी को स्थायी रूप से बंद करने का अधिकार एमपीऑनलाइन को होगा।
- कियोस्क संचालकों को एमपीऑनलाइन द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाने वाली विभिन्न कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण हेतु बुलाये जाने पर नियत स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
- एमपीऑनलाइन द्वारा कार्यशाला एवं प्रशिक्षण में उपस्थित होने संबंधी जानकारी ईमेल एवं एसएमएस द्वारा प्रेषित की जाती है, अतः पंजीकृत ईमेल प्रतिदिन एक बार अवश्य देखें।
- कोई भी आवेदक आवेदन के आधार पर कियोस्क आवंटन का दावा नहीं कर सकता, समस्त मापदंड पूर्ण होने पर ही कियोस्क आवंटित किया जावेगा।
- कियोस्क संचालकों को एमपीऑनलाइन के समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। कियोस्क आवंटन संबंधी मापदंडों में बिना पूर्व सूचना किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है।

एमपीऑनलाइन लिमिटेड,

कार्पोरेट कार्यालय:- ब्लॉक ओ बी -14 से 17, चौथी मंजिल,

डीबी सीटी कॉरपोरेट पार्क, नियर बोर्ड ऑफिस चौराहा,

अपोजिट जोन-1, एमपी नगर, भोपाल- 462011, दूरभाष:-0755-6720200